

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/ न्याय/2018/ 1430

दिनांक: 12.03.2018

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ने पत्र सं० सीबी/विविध/झाला /17/4804 दिनांक 15.02.18 से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ के अभियोग सं० 84/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भानुप्रताप सिंह पुत्र श्री जर्नादन सिंह जाति राजपूत उम्र 24 साल निवासी गांवडी थाना असनावर जिला झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.02.2018 को श्री भवानीशंकर उप निरीक्षक मय जाप्ता वास्ते चैकिंग अवैध कार्य रवाना होकर खेल संकुल के सामने पहुंचा तो जयें मुखबिर सूचना मिली की खण्डिया तिराहे पर मंदिर के पास एक व्यक्ति खड़ा है। इस इत्तला पर वहा पहुंचने पर संदिग्ध व्यक्ति नजर आया जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसका पीछा करने पर डिटेन किया व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भानुप्रताप सिंह पुत्र श्री जर्नादन सिंह जाति राजपूत उम्र 24 साल निवासी गांवडी थाना असनावर जिला झालावाड़ होना बताया। तलाशी लिए जाने पर उसकी पेंट की जेब मे एक देशी कटटा चालू हालत मे मिला, जिसका नाप किया तो कुल लंबाई 29 सेमी, नाल की लंबाई 17 सेमी, 12 बोर पीछे लकड़ी का हत्था लगा हुआ मिला। जिसका लायसेंस होना नहीं बताया। वापसी थाने पर प्रकरण सं० 84/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एवं गवाहान के कथन लेखबद्ध किये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। जप्तशुदा देशी कटटा 12 बोर का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड़ से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो उक्त देशी कटटा 12 बोर लोकल मेटल लोहे का बना हुआ जिस पर कोई नंबर व मार्का अंकित नहीं होना मौजूदा समय मे इसके सभी पार्टस सही कार्यरत होना तथा उक्त देशी कटटा फायर करने योग्य एवं फायर आर्म्स की जद मे आना बताया गया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नहीं पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते हैं।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भवानीशंकर एसआई पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ व आर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटे को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एवं अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त भानुप्रताप सिंह पुत्र श्री जर्नादन सिंह जाति राजपूत उम्र 24 साल निवासी गांवडी थाना असनावर जिला झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ० जितेंद्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

